उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक– सी-55 /लेखा/2018–19 दिनांक 08.10.2018

समस्त शाखा प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 का मासिक ट्रायल बैलेंस तथा आय व्यय की सूचना प्रेषित करने के सम्बंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय के परि0सं0–सी–42/लेखा/2018–19 दिनांक 24.08.2018 तथा पत्रांक 26773/लेखा/2018–19 दिनांक 14.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा नवीन /संशोधित प्रारूपों पर मासिक ट्रायल बैलेंस तथा आय–व्यय के विवरण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही माह सितम्बर–2018 का संकलित ट्रायल बैलेंस व आय–व्यय का विवरण पत्र दिनांक 15.10.2018 तक प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई है। आप अवगत ही है कि माह सितम्बर–2018 समाप्त हो चुका है। बैंक का अर्द्धवार्षिक संतुलन पत्र व आय–व्यय की सूचना तैयार किया जाना है। इस हेतु आवश्यक है कि समस्त मण्डलों द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना प्रधान कार्यालय प्रेषित कर दी जाय।

उल्लेखनीय है कि कतिपय मण्डलों द्वारा अभी भी पुराने प्रारूपों पर सूचना संकलित कर अथवा मण्डल की समस्त शाखाओं के आकड़े अंकित किये बिना प्रधान कार्यालय प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ ही उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र/पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि दिनांक 15.10.2018 तक ट्रायल बैलेंस व आय–व्यय (माह सितम्बर–2018) की संकलित सूचना निम्न ई–मेल पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त दिनांक तक सूचना प्रेषित न करने वाले शाखा/मण्डलीय शाखा प्रबंधको के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Email-ddoldbho@gmail.Com

8/10/18

(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्राचार्य(प्रशिक्षण केन्द्र) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र,लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से अनुश्रवण करते हुये दिनांक 15.10.2018 तक उक्त सूचना प्रधान कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ प्रबंधक (**ITCell**) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Chandra
8/10/2018